

अनुसूची १४-फारम सं०-४६२

आदेश-पत्रक
(देखें अभिलेख हस्तक, १९४१ का नियम १२६)

आदेश पत्रक - ता०.....से.....तक
जिला....., सं०....., सन् १९.....
केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख-सहित ३
	<p style="text-align: center;">न्यायालय आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा</p> <p style="text-align: center;">भूमि विवाद अपील वाद संख्या 347/2012</p> <p style="text-align: center;">जंग बहादुर मंडल एवं अन्य — अपीलार्थीगण वनाम विन्देश्वरी मंडल एवं अन्य — रेस्पाण्डेन्ट्स</p> <p style="text-align: center;">—:आदेश:—</p> <p>प्रस्तुत अपील वाद माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा दिनांक: 16.07.2012 को सी०डब्ल्यू०जे०सी०वाद संख्या: 12008/2012 में पारित आदेश में निदेशानुसार इस न्यायालय में दाखिल किया गया है।</p> <p>वाद पुकारा गया। उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना तथा अभिलेख पर उभय पक्षों के रक्षित कागजात का अवलोकन किया।</p> <p>अपीलार्थीगण के विज्ञ अधिवक्ता बहस के क्रम में कथन करते हैं कि विवादी भूमि पुराना खाता नं० 186, नया खाता नं० 404 पुराना खेसरा 875 नया खेसरा 1699 के लैण्ड होल्डर महेन्द्र नारायण झा पे० सूर्य नारायण झा थे। उन्होंने 01 बीघा (88डी०) भूमि बजरिये रजिस्टर्ड केवाला दिनांक 29.04.1971 को बहक जगदीश साह, पे०- भोला साह को बिक्री किये वो बाद खरीदगी के जगदीश साह दखलकार हुए वो जगदीश साह के नाम से जमाबंदी नं० 980 बिहार सरकार के सिरिस्ता में कायम हुआ जिससे जगदीश साह को टिनेन्सी राईट हासिल हुआ वो जगदीश साह बिहार सरकार को रेन्ट वील अदाय कर रसीद हासिल करते आये। आगे यह भी कथन करते हैं कि जगदीश साह ने अपनी उपरोक्त खरीदगी जमीन 81 डी० बजरिये रजिस्टर्ड केवाला संख्या 1309 दिनांक 16.03.07 को अपीलार्थी के हाथ बिक्री कर दिये वो अपीलार्थी के नाम से जमाबंदी कायम हुई वो अपीलार्थी बिहार सरकार को रेन्ट वील अदाय कर रसीद हासिल करते आये।</p> <p>अपीलार्थीगण के विज्ञ अधिवक्ता बहस के क्रम में आगे यह भी कथन करते हैं कि हाल सर्वे में नया खेसरा 1699 का रकबा 90.5 डी० दर्ज हुआ वो लैण्ड होल्डर महेन्द्र झा के स्वर्गीय होने पर उनकी पत्नी रोहनी देवी विवादित खेसरा में बिक्री के बाद बची हुई 9.5 डी० भूमि पर दखलकार हुई</p>	



वो मसोमात रोहनी देवी ने उक्त भूमि 9.5 डी वजरिये रजिस्टर्ड केवाला 4102 दिनांक 07.08.07 को बिक्री बहक अपीलार्थीगण को कर दिए, जिस पर अपीलार्थी हकदार वो दखलकार हुए वो इस तरह अपीलार्थी को पुराना खेसरा 875 नया खेसरा 1699 में कुल 90.5 डी0 भूमि हासिल हुआ, जिसपर अपीलार्थी हकदार वो दखलकार चले आ रहे हैं। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता आगे यह भी कथन करते हैं कि रेस्पोंडेन्ट ने भूमि सुधार उप समाहर्ता, उदाकिशुनगंज के न्यायालय में बटायदारी केस नं0 03/07-08 original land holder महेन्द्र नारायण झा के विरुद्ध बटायदारी वाद दाखिल किये जिसमें न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया कि रेस्पोंडेन्ट /वादी अपना बटायदारी का अपना दावा प्रमाणित करने में असफल रहे इसलिए प्रथम द्रष्टवा में उक्त बटायदारी वाद खारिज कर दिया गया, जिसके खिलाफ कोई अपील या रिभिजन रेस्पोंडेन्ट ने दाखिल नहीं किया।

अपीलार्थीगण के विज्ञ अधिवक्ता बहस के क्रम में आगे यह भी कथन करते हैं कि विवादित पुराना खेसरा 875 का पुराना खतियान में रकबा 1 एकड़ 80.5 डी0 है। वो पुराना खेसरा नं0 875 का मात्र 0.90 डी0 भूमि ही अंदर दफा 15 (1)सिलिंग एक्ट Bihar Land Reforms fixation of ceiling and acquisition of Surplus land act के तहत Surplus घोषित किया गया वो अपीलार्थीगण ने मात्र 90.5 डी0 भूमि खरीद किया है जो सिलिंग से बाहर है, जिसे Surplus घोषित नहीं किया गया है। गजट का प्रकाशन दिनांक 12.01.1984 को हुआ है वो अपीलार्थीगण के vender का केवाला दिनांक 17.03.81 का ही है जो गजट प्रकाशन से पूर्व का है।

दूसरी ओर रेस्पोंडेन्ट के विज्ञ अधिवक्ता बहस के क्रम में कथन करते हैं कि विवादित जमीन कबल में महेन्द्र ना0 झा की थी, जिसका खाता पुराना 186, खाता नया 404 खेसरा पुराना 875 खेसरा नया 1699 रकबा 0.90 डीसमल था वो हाल सर्वे में रकबा 0.90 डी0 दर्ज है। उक्त खाता, खेसरा वो रकबा केवाला महेन्द्र ना0 झा बहक जगदीश साह को दिनांक 29.04.71 को किये। जगदीश साह खरीददार ने अपना खरीदगी जमीन जो खाता पुराना 186, खाता नया 404 वो खेसरा पुराना 875, खेसरा नया 1699 रकबा 0.81 डीसमल किये बकिये 0.09 डीसमल अपने केवाला दिनांक 14.03.06 के चौहददी उत्तर में प्रत्यर्थी विन्देश्वरी मंडल का नाम दर्ज किये। आगे यह भी कथन करते हैं कि विवादित जमीन सिलिंग से हटकर है बिल्कुल गलत है बल्कि अपीलार्थी का दावा सिलिंग वाली एराजी रकबा 0.90 डीसमल के अन्दर है।

रेस्पोंडेन्ट के विज्ञ अधिवक्ता आगे यह भी कथन करते हैं कि अपीलार्थी का केवाला दिनांक 14.03.06 के आधार पर कभी दखल, कब्जा नहीं हुआ वो उक्त केवाला कभी भी अमल दराज नहीं हुआ तो ऐसी स्थिति में अपीलार्थी/वादी का दखल, कब्जा मांगना बिल्कुल गलत वो नाजायज है।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुनने एवं अभिलेख पर रक्षित कागजात का गहन अवलोकन से परिलक्षित होता है कि -

1. अपीलार्थी /वादी के पास प्रश्नगत जमीन का केवाला एवं मालगुजारी रसीद है तथा जमाबंदी भी कायम है परन्तु अपीलार्थी द्वारा दखल कब्जा की मांग की जा रही है।

2. उभय पक्षों को विवादित प्रश्नगत भूमि के पुराना खेसरा 875 से नया खेसरा 1699 का बनने में कोई वैचारिक भिन्नता नहीं है।

3. पुराना खेसरा 875 रकबा 90 डीसमल अधिशेष भूमि के रूप में लोक प्रयोजन हेतु बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1961 की धारा 15 (1) के अन्तर्गत अर्जित है, प्रश्नगत भूमि की चौहददी से यह स्पष्ट नहीं होता है कि अर्जित भूमि के जानिब किस ओर से अपीलार्थी/वादी द्वारा जमीन कय किया गया है।


4. अपीलार्थीगण/वादीगण द्वारा केवाला दस्तावेज संख्या 1309 दिनांक 16.03.07 एवं केवाला दस्तावेज संख्या 4102 दिनांक 07.08.07 से जमीन खरीद की गयी है। दिनांक 16.0307 द्वारा कय किये गये भूमि की चौहददी ही द्वितीय केवाला जो प्रथम केवाला के

लगभग पाँच माह बाद दिनांक 07.08.07 को कय किया गया है में भी एक ही चौहददीदार का नाम अंकित है, जबकि द्वितीय केवाला के किसी एक चौहददी में अपीलार्थीगण/वादीगण का निज होना चाहिए था परन्तु ऐसा नहीं होने से केवाला संदेहास्पद प्रतीत होता है।


5. भूमि सुधार उप समाहर्ता, उदाकिशुनगंज के न्यायालय में विविध वाद संख्या 3/2007-08 में आदेश दिनांक 27.02.2008 में रेस्पोंडेन्ट/प्रतिवादी विन्देश्वरी मंडल का दावा बटायदारी के रूप में प्रथवा दष्टवा में दावा अस्वीकृत किया जा चुका है।

वर्णित स्थिति में पाया कि विवादित भूमि जो सरकार द्वारा अर्जित किया गया है उसका अंश अपीलार्थी द्वारा कय किया गया है अथवा नहीं स्पष्ट नहीं होता है, जो न्याय निर्णयन में आवश्यक प्रतीत होता है। इसलिए भूमि सुधार उप समाहर्ता, उदाकिशुनगंज को निदेश दिया जाता है कि उक्त विवादित भूमि का दावा से संबंधित साक्ष्य/कागजात का जाँच एवं सीमांकन स्वयं से कर अर्जित भूमि को अलग करते हुए यदि अपीलार्थी का अर्जित भूमि से अलग भूमि का कय किया गया है तो उनकी उक्त भूमि पर दखल कब्जा अपीलार्थी को दिलाने को सुनिश्चित करें। इसी के साथ वाद स्वीकृत करते हुए अपील वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।


आयुक्त

कोशी प्रमंडल, सहरसा


आयुक्त

कोशी प्रमंडल, सहरसा